न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 29/2018 Gcms No. 2018/00161
दायरा तिथि : 17.04.2018
आदेश तिथिः 14-03-2022

प्रार्थीगण :–

1. निशानसिंह पुत्र हरभजनसिंह
2. हरभजनसिंह पुत्र वरियामसिंहजी
3. कुलवंतसिंह पुत्र हर भजनसिंहजी
4. पिंदरसिंह पुत्र हरभजनसिंहजी जातिगण सिख
   निवासीगण रणजीतगढ जिला भटिण्डा हाल खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी :–
तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानसिंह चौहान — अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. नायब तहसीलदार..... — पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक : 14-03-2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 373 रकबा सवा सत्ताई बीघा (27 बीघा 5 बिस्वा) के भू0भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 395/1966 रकबा 0.33 हैक्टर मेंसे 0.12 हैक्टर प्रार्थीगण के खरीदशुदा खातेदारी की भूमि का भाग होने से दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि प्रार्थीगण ने गांव खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 371, 372, 373 के खातेदारान् सकापुरी, आसुपुरी, अमरपुरी, गंगापुरी पिसरान् मगापुरी जाति गुसाई निवासीगण खुडाला से उनका 3/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 4.6.1975 से खरीद किया गया। जिस बेचान रजिस्ट्री के अनुसार खरीद शुदा 3/4 हिस्सा भूमि की विगत इस प्रकार बताई:–

खसरा नंबर		रकबा	किस्म भूमि
371	में	36 बीघा 2 बिस्वा	चाही तृतीय
372 में	में	24 बीघा 16 बिस्वा	चाही तृतीय
373 में	में	27 बीघा 5 बिस्वा	चाही तृतीय
		88 बीघा 3 बिस्वा	
370		1 बीघा 4 बिद गै.मु. बेरा (इसका 3/4 हिस्सा)	

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में गत् खसरा नंबर 373 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 393, 393, 394 बनना स्वीकार किया, परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा 0.12 हैक्टर नये खसरा नंबर में प्रार्थीगण की खातेदारी में कम दर्ज करना बताया। इसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा गत् खसरा नंबरान् से ओवरलेपिंग करते हुये एक नक्शा पेश किया गया, जिसमें ओवर लेपिंग नक्शे में भू0प्रबन्ध कार्यवाही से पुर्व की प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओ को लाल रंग की लाईन से दर्शित करते हुये खसरा वार स्थिति निम्नानुसार बताई:–

सैटलमेंट से पुर्व प्रार्थीगण के खातेदारी की स्थिति

खसरा नंबर	रकबा
373	27 बीघा 5 बिस्वा

सैटलमेंट के बाद दर्ज प्रार्थीगण की खातेदारी

खसरा नंबर	रकबा
392	0.31 हैक्टर
393	1.11 हैक्टर
394	2.87 हैक्टर
कुल 03	**4.29 हैक्टर**

अपने प्रार्थना पत्र में बीघा से हैक्टर में दर्ज करते समय 0.12 हैक्टर भूमि कम दर्ज करना बताते हुये दुरस्ती के जरिये खातेदारी में दर्ज किये जाने की मांग की गई। प्रार्थीगण के प्रकरण में पटवारी हल्का, खुडाला से रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में पटवारी हल्का, खुडाला द्वारा दिनांक 26.6.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दिनांक 23.7.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट एक दुसरे की विरोधाभाषी रिपोर्ट होने से इस सबंध में तहसीलदार, बाली से गत् एवं हाल रकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने निरीक्षक भू0अ0 खुडाला से विस्तृत जांच करवाकर जांच नय अनुशंषा रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2021/1864 दिनांक 20.10.2021 से पेश की। तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार गत् खसरा नंबर 373 **रकबा सवा सत्ताईस बीघा** प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज थी। सैटलमेंट के पश्चात् नये खसरा नंबर 392, 393 व 394 रकबा क्रमशः 1.11, 0.3 एवं 0.87 **कुल रकबा 4.29 हैक्टर** भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हुई है।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 29/2018 Gcms No. 2018/00161
अनवान निशानसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व रेकर्ड गत् नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस से खसरो का मिलान एवं ओरलेपिंग करने पर कम हुई भूमि 0.07 हैक्टर खसरा नंबर 395/1966 में पाई गई, खसरा नंबर 394 जो प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज थी। जिसके पास ही राजकीय सिवाय चक खसरा नंबर 395/1966 का भाग गत् खसरा नंबर 373 से बनना बताया। खसरा नंबर 395/1966 रकबा 0.33 हैक्टर सिवाय चक भूमि से नगरपालिका के खाते में दर्ज हो गई है। जिस पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही हैं। जिससे हाल खसरा नंबर 395/166 रकबा 0.33 हैक्टर मेंसे 0.07 हैक्टर भूमि जो, प्रस्तुत नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शित है, की खातेदारी प्रार्थीगण को देना उचित बताया।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री हनुमानसिंह चौहान ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम खुडाला के गत् खसरा नंबर 373 में रकबा सवा 27 बीघा प्रार्थीगण की खरीद शुदा भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खरीद शुदा भूमि पर वक्त खरीद से आदिनांक तक काबिज काश्त होते हुये भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् भू0प्रबन्ध कर्मचारियो ने प्रार्थीगण के खातेदारी में गत् खसरा नंबर 373 से बने हाल खसरा नंबर 392, 393, 394 में कुल 4.29 हैक्टर भूमि ही खातेदारी में दर्ज की, जो रकबा 26.51 बीघा ही होता है, जबकि प्रार्थीगण के खातेदारी में भू0प्रबन्ध के पुर्व सवा 27 बीघा भूमि दर्ज थी, सैटलमेंट के बाद के रेकर्ड में पौन बीघा 0.12 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा बहस के दौरान् दलील दी गई कि भू0प्रबन्ध विभाग को मात्र पुर्व के रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज को दोहराना था। भू0 प्रबन्ध विभाग को किसी व्यक्ति की खातेदारी बदलने अथवा रकबा कम करने के अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान या समर्पण नहीं किया गया है एवं न इस सबंध में किसी न्यायालय का आदेश है। जिससे भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही दोषपुर्ण होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ओवरलेपिंग नक्शे से इसकी पुष्टि होने से 0.12 हैक्टर रकबा दुरस्ती के जरिये प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा बहस में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी में 0.07 हैक्टर भूमि कम दर्ज करने के तथ्य से स्वीकारोक्ति दी तथा हाल खसरा नंबर 395/1966 रकबा 0.33 हैक्टर मेंसे 0.07 हैक्टर भूमि की ही प्रार्थीगण को खातेदारी देने बाबत् सहमति प्रकट की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के वर्णित प्रावधानो का अध्ययन किया किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि ग्राम खुडाला के गत् खसरा नंबर 373 मेंसे सवा 27 बीघा भूमि वर्ष 1975 में प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई। खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त होते हुये भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् खसरा नंबर 373 से कायम नये खसरा नंबर 392, 393, 394 में **कुल रकबा 4.29 हैक्टर** की ही खातेदारी दर्ज की। जो **रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा के समकक्ष ही होता है**, जबकि प्रार्थीगण के खातेदारी में सैटलमेंट से **पुर्व सवा 27 बीघा भूमि** दर्ज थी, इस प्रकार **09 बिस्वा यानि 0.07 हैक्टर भूमि सैटलमेन्ट के बाद** के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीगण के **खातेदारी में कम दर्ज** हुई है। प्रार्थीगण द्वारा यद्यपि 0.12 हैक्टर भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज किये जाने की दलील दी गई है, परन्तु इसकी पुष्टि गत् व हाल रेकर्ड से नहीं होने से 0.12 हैक्टर की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ओवरलेपिंग नक्शे तथा निरीक्षक भू0अ0 खुडाला व तहसीलदार, बाली द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार गत् रेकर्ड के मुकाबले भू0प्रबन्ध बाद के रेकर्ड 0.07 हैक्टर ही कमी रकबा प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की पुष्टि होती है। तथा साथ ही खुडाला के हाल खसरा नंबर 395/1966 मेंसे 0.07 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का वर्तमान में भी कब्जा काश्त होने से खुडाला के हाल खसरा नंबर 395/1966 मेंसे 0.07 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार, बाली द्वारा की गई।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खुडाला तहसील बाली के गत् खसरा नंबर 373 रकबा सवा 27 बीघा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 392, 939, 394 में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा 4.29 हैक्टर यानि 26 बीघा 16 बिस्वा की ही खातेदारी दर्ज करने तथा 0.07 हैक्टर भूमि कम दर्ज करने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती के जरिये गत् खसरा नंबर 373 से ही मौका स्थिति अनुसार बने ग्राम खुडाल के हाल खसरा नंबर 395/1966 रकबा 0.33 हैक्टर मेंसे 0.07 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
(सुश्री [illegible] नागे)
आई.ए.एस. जिला-पाली (राज.)
भू0प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी

आदेश आज दिनांक 14-03-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner